(21)

समक्ष- श्रीमान राजस्व मंडल जबलपुर कैम्प, जबलपुर / ग्वालियर

रिवीजन क्रमांक सन् I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/2446

मैसर्स शिवशक्ति बायोटैक्नालाजी
द्वारा- मैनेजर राजेश कुमार पिता स्व० भास्करन
निवासी गोसलपुर, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
--पेटीशनर

श्री आर० सी० गुप्ता, अभि०
द्वारा आज दि. 1-8-17 को
प्रस्तुत

विरुद्ध

रामेश्वर प्रसाद पिता लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल
साकिन घमघा, गोसलपुर, तह० सिहोरा, जिला जबलपुर
-- रेस्पांडेन्ट

रिवीजन अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू० रा० संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधि० महोदय सिहोरा के समक्ष लंबित प्रकरण क्र० ३० अ /७०/ सन् २०१६-२०१७ के आदेश दिनांक ५-७-०१७ से व्यथित होकर यह रिवीजन मान० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आदेश दिनांक ५-७-१७ को पारित हुआ उसकी सत्यप्रतिलिपि १४-७-१७ को प्राप्त हुई, रिवीजन समयावधि के भीतर है।

संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

(१) प्रत्यार्थी रामेश्वर प्रसाद ने एक प्रकरण तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि ख०नं० १६ की पूर्व दिशा में ६ गड्ढे खोदकर ४६ बाई ३०फुट जमीन पर बेजा कब्जा किया गया है। धारा २५० का प्रकरण पेश किया। पिटीशनर/ आवेदक ने जवाब दिया और बेजा कब्जा से इंकार किया निवेदन किया कि शिवशक्ति बायो टेक्नालाजी के डायरेक्टर को पक्षकार बनाते हुये प्रकरण पेश करना चाहिये। एवं तहसीलदार महो० ने दिनांक ५-१२-१६ को निर्णय पारित किया और यह पाया कि पेटीशनर ने बेजा कब्जा किया, जिसकी अपील मान० अनु० अधि० सिहोरा के समक्ष की गई एवं स्थगन चाहा, अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने प्रकरण में सुनवाई कर स्थगन दिया, स्थगन को जारी रखने हेतु पुन: आवेदन पत्र दिया गया उस पर सुनवाई करके स्थगन को पुन: जारी नहीं रखा और आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया, उसी से व्यथित होकर यह रिवीजन पेश किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण में तह० महोदय ने बगैर डिमारकेशनके

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / जबलपुर / भू.रा. / 2017 / 2446 **जिला** – जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.11.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.सी. श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें स्थगन निरंतर करने के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 05.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त करते हुए प्रकरण तर्क हेतु नियत किया है। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण का निराकरण अभी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाना हे। ऐसी स्थिति में इस निगरानी को इस न्यायालय में चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। स्थगन देना या न देना न्यायालय का विवेकाधिकार है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करें। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	